जनवरी 2018, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ अंक – 05

उदय योजना के अन्तर्गत नोएडा में डिस्काम के टर्न एराउन्ड नियोजन की कार्यशाला

बायें से दाये – मा0 ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकान्त शर्मा, अध्यक्ष पावर कारपोरेशन श्री अलोक कुमार, पूर्व सचिव ऊर्जा भारत सरकार श्री पी0के0 पुजारी एवं प्रबन्ध निदेशक टाटा पावर श्री अनिल सरदाना।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया गया कि 10 कि0वा0 एवं अधिक भार के नये संयोजन के आवेदक को खण्ड कार्यालय में चाय/कॉफी पेश की जायगी एवं उनका संयोजन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर निर्गत कर दिया जायेगा।

एरियर इन्सेन्टिव स्कीम की मुख्य बातें

योजना की अवधि : 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018

योजना की अवधि में 01 अप्रैल 2017 से पूर्व के बकायेदार उपभोक्ताओं (क्रोनिक डिफाल्टर) का पूर्ण विद्युत बिल जमा कराया जाना होगा।

योजना के अन्तर्गत इन्सेन्टिव भुगतान हेतु अर्ह राशि : शहरी खण्डों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के कुल राजस्व लक्ष्य के 90% के ऊपर प्राप्त राजस्व, ग्रामीण खण्डों द्वारा लक्ष्य के 80% के ऊपर प्राप्त राजस्व, एरियर से प्राप्त वास्तविक राजस्व के प्रतिबन्धाधीन (एलएमवी–4ए, समस्त एच.वी., शासकीय केन्द्रीयकृत भुगतान एवं धारा–5 प्रेषित मामलों को छोड़कर)। किसी खण्ड के शहरी/ग्रामीण होने का निर्णय सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जायेगा। कुल अर्ह धनराशि का 12% इन्सेन्टिव के रूप में निम्नवत् भुगतान मई 2018 में किया जायेगा :

अधिशासी अभियन्ता	0.50%	उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं कैशियर	1.50%
अधिशासी अभियन्ता कार्यालय	0.50%	अवर अभियन्ता	2.50%
उपखण्ड अधिकारी	1.00%	विभागीय लाइन स्टाफ/परिचालन, अनुरक्षण एवं विद्युत विच्छेदन कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत एजेन्सी	6.00%

अध्यक्ष की से ....

विद्युत आपूर्ति की लागत तथा राजस्व प्राप्ति के बीच कैश-गैप की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक होती जा रही है। इस दृष्टिकोण से डिस्काम स्तर तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की एक कार्यशाला दिनॉक २० जनवरी, २०१८ को आयोजित की गयी जिसमें डिस्कामवार 'उदय योजना' के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टर्न एराउंड प्लान के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। माह दिसम्बर, २०१७ से नये टैरिफ लागू होने के बाद अब कैश-गैप को खत्म करने हेतु राजस्व बढ़ाने के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे पास नहीं रह गया है। इसके बावजूद कई विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अभी भी इस कार्य को अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। हम सब लोगों को इसके लिए निरन्तर कठोर परिश्रम करना होगा तभी हम 'पावर फॉर ऑल' के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

कुछ खास

मुख पृष्ठ

नोएडा में उदय योजना के अन्तर्गत डिस्काम के टर्न एराउन्ड नियोजन की कार्यशाला – पृष्ठ: 1

एरियर इन्सेन्टिव स्कीम की मुख्य बातें – पृष्ठ: 1

आयोजन

उदय योजना के अन्तर्गत नोएडा में डिस्काम के टर्न एराउन्ड नियोजन की कार्यशाला – पृष्ठ: 2

यह भी जानें

अधिक लोड खपत वाले उपभोक्ताओं के मानक लोड फैक्टर – पृष्ठ: 3

अधिक विद्युत ऊर्जा खपत वाली इकाइयों का अनुश्रवण एवं डबल मीटरिंग मिलान – पृष्ठ: 3

छपते छपते

केस्को में आपूर्ति व्यवधान का संदेश उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु अभिनव प्रयोग – पृष्ठ: 3

सैफई खण्ड में कार्यालय सहायक–।। को अनियमितता पाये जाने पर किया निलम्बित – पृष्ठ: 3

माह में कारपोरेशन द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश एवं सर्कुलर

INCENTIVE SCHEME TO LIQUIDATE PAST ARREARS – पृष्ठ: 4

सराहनीय कार्य की सूचना

फील्ड में किये जा रहे सराहनीय कार्य को 'उदय की ओर' में प्रत्येक माह प्रकाशित किया जा रहा है एवम् बेहतर कार्यों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा। अतः आप अपने कार्यों का संक्षिप्त विवरण मय फोटोग्राफ/पदनाम/तैनाती स्थल के साथ udai.ki.or@gmail.com पर भेजें।

मुख्य संरक्षक

मा0 पंडित श्रीकांत शर्मा
ऊर्जा मंत्री
उ0प्र0 सरकार

संरक्षक

श्री आलोक कुमार, आईएएस
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं
अध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि

मुख्य सम्पादक

अपर्णा 'यू0', आईएएस
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

सम्पादक

डॉ. संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)

इं0 आर0के0 जैन
स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष

डिजाइन एवं रचना

श्री उमेश जोशी,
बैक आफिस

प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.पा.का.लि. का संदेश

प्रदेश के विकास में एवं प्रदेशवासियों की जीवनशैली को गुणवत्तापरक करने में विद्युत खपत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्युत की प्रत्येक यूनिट उत्पादपरक हो एवं व्यर्थ में इसका दुरूपयोग न हो इसके लिये आवश्यक है कि विद्युत खपत की प्रत्येक यूनिट की माप सम्भव हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि सभी विद्युत उपभोगकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति न की जाये क्योंकि मीटर न होने से उन्हें इसकी बचत करने का विचार उत्पन्न नहीं होता एवं साथ ही दुरूपयोग की सम्भावना बढ़ जाती है।

वर्तमान में प्रदेश में लगभग ४८ लाख उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली का उपयोग कर रहे हैं जो कि एक गम्भीर चुनौती है। व्यापक स्तर पर अभियान के रूप में इन सभी उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर लगाया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण दृढ़ संकल्पित होकर उक्त लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे।

नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाओं सहित।

Aparna U.
(अपर्णा 'यू0')
प्रबन्ध निदेशक, पाकालि

उदय योजना के अन्तर्गत नोएडा में डिस्काम के टर्न एराउन्ड नियोजन की कार्यशाला

उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.01.2018 को प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट नोएडा में डिस्काम के टर्न एराउन्ड नियोजन की कार्यशाला आयोजित की गयी। इस योजना में मा0 ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा जी, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 श्री आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 श्रीमती अपर्णा यू0, पूर्व सचिव ऊर्जा, भारत सरकार श्री पी0के0 पुजारी, टाटा पॉवर के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल सरदाना के साथ ही समस्त डिस्काम एवं कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक, निदेशकगण, मुख्य अभियन्ता (वितरण), उदय टीम, उदय एवं आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 सलाहकार टीम द्वारा भाग लिया गया।

इस कार्यशाला में सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री जी एवं अतिथि वक्ता श्री पी0के0 पुजारी पूर्व सचिव भारत सरकार एवं श्री अनिल सरदाना प्रबन्ध निदेशक टाटा पावर का अभिवादन किया एवं उदय योजना के अन्तर्गत आयोजित टर्न एराउन्ड कार्यशाला में बहुमूल्य समय निकाल कर मार्ग दर्शन दिये जाने के लिए साधुवाद दिया। इस कार्यशाला में प्रदेश सरकार के गुड गवर्नेन्स को लागू किये जाने, इसके अन्तर्गत विद्युत नेटवर्क स्थापित करने, मीटर संयोजन दिये जाने, विद्युत चोरी रोककर लाइन हानियों को कम कर सस्टेनेबल राजस्व में वृद्धि का कार्य करने एवं प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त पर मा0 मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी द्वारा समीक्षा किये जाने से अवगत कराते हुये समस्त टीम को समन्वय के साथ उपरोक्त कार्य को लक्षित कर किये जाने के लिए कहा।

कार्यक्रम में श्री अनिल सरदाना जी प्रबन्ध निदेशक टाटा पावर द्वारा (NDPL) दिल्ली की सक्सेस स्टोरी के अपने अनुभवों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर अनुभव का लाभ उठाते हुए बेहतर कार्य को प्रोत्साहन एवं नॉन–परफारमेन्स पर सख्ती करने के साथ उपकेन्द्र पर हो रही दलाली प्रक्रिया को समाप्त किये जाने आदि से अवगत कराया। श्री पी0के0 पुजारी, पूर्व सचिव, भारत सरकार द्वारा उद्बोधित किया गया कि नई तकनीक के प्रबन्ध, प्रशासनिक सहयोग के सामान्य, सकारात्मक नजरिया एवं कार्य प्रणाली में इनोवेशन के द्वारा कठिन लक्ष्यों को भी शीघ्र एवं आसानी से किया जा सकता है। इसके उदाहरण कई प्राईवेट एवं सरकारी डिस्काम में किये गये सुधार में परिलक्षित है।

मा0 ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा जी द्वारा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत हर घर बिजली पहुंचाने, संयोजन निर्गत करने के (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अन्तर्गत मीटर संयोजन निर्गत किये जाने, लाइन हानियां कम करने हेतु विद्युत चोरी रोकने, सही बिल निर्गत किये जाने, उपभोक्ता समस्या का निराकरण एवं गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये।

डॉ0 संजय कुमार सिंह, निदेशक वाणिज्य द्वारा उदय की वर्तमान स्थिति ACS-ARP Gap, लाइन हानियों एवं ऊर्जा पैरामीटर की वस्तुस्थिति एवं कारपोरेशन कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया।

मेसर्स मार्कडोस के श्री शलभ श्रीवास्तव द्वारा उदय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्रीमती सुश्री सौम्या अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, केस्को ने कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी द्वारा लाइन हानियों को कम कर राजस्व वृद्धि की सक्सेस स्टोरी एवं भविष्य में लाइन हानियों को और कम कर 15 प्रतिशत से भी कम लाने की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया। डिस्काम के निदेशक (वाणिज्य) श्री अरविन्द राजवेदी–पश्चिमांचल, श्री मोहित आर्या–पूर्वांचल, श्री एस0सी0 झा–मध्यांचल एवं श्री डी0के0 सिंह–दक्षिणांचल द्वारा अपने–अपने डिस्काम के टर्न एराउन्ड प्लान पर निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण कर सुधार की गाइड लाइन प्रस्तुत की :–

A. Details of ongoing Underground Cabling Projects and changing of Service Lines
B. Details of Replacements of ABC Cable Projects in Rural Area (Habitations above 1000 and Habitations above 2000)
C. Audit of CT / PT Ratio, painting MF on Box & matching the ratio with Billing Software.
D. Metering all Unmetered Connection except PTW
E. Increasing Anti Theft raid teams in addition to existing Vigilance Teams
F. Converting Informal Connections to Metered connection in the billing net.
G. Downloaded billing by billing agency.
H. Elimination of Ghost Consumer & Formalization of connection.
I. Rural Area through rate (Cummulative through rate)
J. Urban Area through rate (Cummulative through rate)
K. Billing Quality Index (BQI)
L. Clean and Regular Account (As per the definition already provided) - Must converge to 100% in Urban Area and at least 95% in Rural Area by Dec 2018
M. 1 - Monitoring & Timely Recovery of Centralised Government Dues (Bills raised in a month must be verified latest by the end of next month) (Also monitored online)
   2 - De-centralised Government Dues
N. Recovery of Past Arrears
O. 1 - Gap in Ledgerisation (Past Connections)
   2 - New Connections

कार्यशाला के उपरान्त मा0 ऊर्जा मंत्री जी पं0 श्रीकान्त शर्मा, अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्री अलोक कुमार एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्रीमती अपर्णा यू0 द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन नोएडा में वृक्षारोपण

वृक्षारोपण

मा. ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा

अध्यक्ष महोदय श्री आलोक कुमार

प्रबन्ध निदेशक महोदया श्रीमती अपर्णा यू.

अधिक लोड खपत वाले उपभोक्ताओं के मानक लोड फैक्टर

लोड फैक्टर (स्वीकृत भार के सापेक्ष) = $\frac{\text{माह की कुल खपत}}{\text{स्वीकृत भार X 24 X माह में दिनों की संख्या}}$ X 100

लोड फैक्टर (अधिकतम रिकार्डेड डिमाण्ड के सापेक्ष) = $\frac{\text{माह की कुल खपत}}{\text{अधिकतम डिमाण्ड X 24 X माह में दिनों की संख्या}}$ X 100

अधिक खपत वाले उद्योगों की खपत एवं लोड फैक्टर निम्नवत् है :–

इकाई	खपत	लोड फैक्टर
स्टील इंडक्शन फर्नेस	700 यूनिट प्रति टन	70
स्टील आर्क फर्नेस	700 यूनिट प्रति टन	45
कोल्ड स्टोरेज (बुनकर	5.5 यूनिट प्रति बैग (80 कि0) प्रति सीजन	60 / 40
आइस फैक्ट्री	10 यूनिट प्रति 100 कि.ग्रा.	65
प्लास्टिक इजेक्शन मॉल्डिंग	1000 यूनिट प्रति टन	65
ऑयल मिल	12 यूनिट प्रति 100 कि.ग्रा. सरसों के बीज	45
फ्लोर मिल	7 यूनिट प्रति 100 कि.ग्रा. (गेहुं)	45
पेपर एवं बोर्ड	1300–1700 यूनिट प्रति टन	65
सेन्ट्रल एयर कंडीशनिंग	1.8 यूनिट प्रति 1.5 टन प्रति घण्टा	500 यूनिट औसत 10 घंटे रनिंग 40%

नोट : लोड फैक्टर के आंकलन से अधिक खपत वाले औद्योगिक संयोजन का राजस्व क्षय रोका जा सकता है।

सराहनीय कार्य

केस्को में आपूर्ति व्यवधान का सन्देश उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु अभिनव प्रयोग

केस्को में फीडरों पर लगे मॉडम में SMS की सुविधा चालू की गयी जिससे 11 केवी फीडर की आपूर्ति व्यवधान के समय कॉल सेन्टर के माध्यम से उपभोक्ताओं को तुरन्त सूचना प्रेषित करने की व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की गयी। यह प्रयास बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उपलब्ध संसाधनों से ही सफल रहा। इससे केस्को में रियल टाइम व्यवधान सूचना एवं SAIFI, SAIDI उपलब्ध हो रही है।

सैफई खण्ड में कार्यालय सहायक–।। को अनियमितता पाये जाने पर किया निलम्बित

विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, सैफई के निजी नलकूपों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणी के नये संयोजनों को निर्गत किये जाने सम्बन्धी अनुबन्ध पंजिका में अनियमितता पाये जाने पर विद्युत वितरण मण्डल, इटावा के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पटल सहायक श्री सचिन, कार्यालय सहायक द्वितीय, को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया ।

छपते छपते .....

गाजियाबाद में फोन पर लगातार तगादा कर बढ़ाया दिसम्बर माह में टर्न–अप।

श्रीमती अपर्णा यू0, प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं माइक्रो मानिटरिंग कर इलाहाबाद, इटावा, कन्नौज एवं मैनपुरी खण्ड में विभिन्न योजनाओं एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी।

अधिक विद्युत ऊर्जा खपत वाली इकाइयों का अनुश्रवण एवं डबल मीटरिंग मिलान

अधिक विद्युत ऊर्जा खपत वाली इकाइयों के लिये विद्युत भी एक प्रमुख रॉ मैटेरियल होता है इस कारण से ऐसी इकाइयों में अधिक लाभ कमाने के अथवा कम्पटिटिव मार्केट में अधिक माल बेचने के उद्देश्य से विद्युत चोरी किये जाने की सम्भावना अत्यधिक होती है। इसलिये ऐसी इकाइयों की डबल मीटरिंग, डबल मीटरिंग का मिलान (विशेषतः लोड सर्वे पैटर्न का) एम0आर0आई0 विश्लेषण एवं एक तरह के प्रोसेस वाली सभी इकाइयों का लोड फैक्टर का विश्लेषण क्षेत्रवार मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। इसकी सूचना सभी क्षेत्रों की निम्न प्रारूप में बनाकर वेबसाइट के माध्यम से आपस में शेयर किया जाये।

क्र.सं.	उपभोक्ताओं के नाम	स्वीकृत भार (केवीए में)	खण्ड का नाम	माह							
				अप्रैल		मई		जून		जुलाई	
				खपत (केवीए में)	लोड फैक्टर	खपत (केवीए में)	लोड फैक्टर	खपत (केवीए में)	लोड फैक्टर	खपत (केवीए में)	लोड फैक्टर

LOAD SURVEY ANALYSIS REPORT	
Consumer Details	
Sr. No.	10
S.C. No.	XXXXXX
Name (HV-2) Consumer	XXXXXXXXXXXXX
Load (KVA)	480
Pole Meter No.	8113674
M/F	6
Make	L&T
Billing Meter No.	UP104124
M/F	6
Make	Secure

Main Pole meter 1/2 Hr Matching		
Total Hrs taken in Comparision	774.5	
BM Rec< PM Rec in hrs	567.5	73%
BM Rec>PM Rec in hrs	187	24%
Total Deviation ± 10 %	754.5	97%
Matched	20	3%

कई बार डबल मीटर के मासिक मिलान सही होने पर भी चोरी की संभावना (यदि खपत कम है) तो हो सकती है, ऐसे में दोनों मीटर का एक साथ टैम्पर करने की सम्भावना है। इसके लिए प्रत्येक दिवस का लोड ग्राफ के मिलान से भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है :–
उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का सर्वे संलग्न है।

	Billing meter		Pole meter					
	18/08 to 19/09	in %	18/08 to 19/09	in %	18/08 to 30/09	in %	1/10 to 20/10	in %
Total Hrs	792		792		1056		480	
no supply	32.5	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
supply available	759.5	95.9%	792	100.0%	1056	100.0%	480	100.0%
Demand 0-20 % of SL in hrs	580	73.2%	107.5	13.6%	128	12.1%	102	21.3%
Demand 20-50 % of SL in hrs	15.5	2.0%	641.5	81.0%	864.5	81.9%	53.5	11.1%
Demand 50-70 % of SL in hrs	164	20.7%	36	4.5%	55.5	5.3%	107.5	22.4%
Demand 70-100 % of SL in hrs	0	0.0%	7	0.9%	8	0.8%	217	45.2%
Demand >100 % of SL in hrs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
KVAH Cons.	52349		131077		180386		129275	
Cons /Hrs in KVAh	66		166		171		269	

01.09.2013 (One Day) Load Survey Study to identify theft

Hrs	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00
MM	10.8	14.4	14.4	7.2	7.2	18	14.4	3.6	-1	7.2	18	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	10.8	10.8	10.8	18	14.4
PM	118.2	121.4	122.0	80.4	55.9	106.2	117.6	70.3	106.5	110.3	99.7	136.6	144.4	132.4	135.6	143.4	115.4	137.6	135.1	164.6	184.0	193.3	192.7	196.0
Hrs	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	0:00
MM	10.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	10.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	10.8	14.4	14.4	10.8	14.4	14.4	14.4
PM	220.0	189.1	184.4	190.9	111.2	121.0	132.2	131.0	127.3	135.7	155.3	198.6	181.7	196.9	198.6	209.8	201.8	176.4	194.5	200.5	127.4	126.3	143.0	193.4

INCENTIVE SCHEME TO LIQUIDATE PAST ARREARS (Letter no. 437/PSMD/PCL/2017 dated 27-12-2017)

UPPCL proposes to notify an Incentive Scheme to encourage and facilitate payment of past arrears, current arrears and current demand from chronic defaulter consumers. The salient features of the proposed scheme are elaborated here under.

Eligibility

- All employees on the payroll of UPPPCL ,KESCO ,DVVNL, MVVNL ,PuVVNL ,PVVNL shall be eligible to participate in the Incentive scheme.
- Additionally, employees who may retire between 31st January 2018 and 31st March 2018 shall also be eligible to participate in the scheme but eligibility of incentive payment shall be admissible on actual period of service during the incentive scheme.
- Those employees who are on deputation to any of the DISCOMs and UPPCL between 31st January 2018 to 31st March 2018 are also eligible for the scheme but eligibility of incentive payment shall be admissible on actual period of service during the incentive scheme.
- The amount realized from Chronic defaulters through Operations, Maintenance & disconnection contractual agencies, already engaged will also be eligible for incentive.
- However, in case of contractual employees, the incentive will be paid through cheque to the agency, and it will be ensured that agency passes the correct amount of incentive to contractual employees after deducting applicable taxes.
- The permanent disconnection cases will also be covered on liquidation of chronic arrears as defined in this scheme.
- Consumer for which section-5 has already been issued, shall not be covered in this scheme.

Scheme Period

- Scheme shall come into effect on 01 January 2018, and shall cease to be in effect after 31 March 2018

Scheme Details

1. The scheme entails payment of incentive to eligible employees for facilitation of payment of old dues by chronic defaulters.
2. Chronic Defaulters are defined as those who have outstanding arrears as on 1" April 2017. A list of all such consumers (On line connection number, Consumer Name, Premises Address, Arrears as on 1" April 2017) shall be made available by UPPCL through online billing system of RAPDRP and non RAPDRP.
3. Eligible arrears counted for the purpose of the scheme shall be arrears barring arrears from LMV 4A, all HV categories and all Government Department Centralized payments.
   However, in case of revision of arrears, the finally corrected arrear amount shall be deemed to be eligible arrear for the purposes of incentive.
4. Incentive shall be paid only when the entire past dues are realized.
5. Incentive shall be considered only when any chronic defaulter pays his/her dues through any of the available payment modes.
6. In case the outstanding payment is made by cheque, incentive will be paid only after clearance of cheque. No cheque shall be blocked I delayed by the office. The cheque should be presented in the bank within two working days. In case the cheque released gets dishonored, the same shall be updated in the online account within seven days. Any delay in timely updation of cheque status shall be treated as financial irregularity of concerned person of division.
7. Any arrear against which incentive has been claimed can not be revised subsequent to operation of scheme. All cases on which incentive has been claimed, shall be tracked online to ensure that any unreasoned revision is not effected against the arrear for which incentive has been claimed, post incentive scheme.

Minimum Conditions for Applicability of Incentive Payment

Incentive amount on recovery of old arrear from a particular consumer shall be triggered only if the net dues outstanding as on any date against that particular consumer touches down to zero, at any point of time during validity period of scheme.

if the Division to which that particular chronic defaulter consumer belongs meets at least 90% (for Urban Divisions*) and 80% (for Rural Divisions*) of its revised annual revenue targets for the financial year (FY2017- 18).

**The identification of any Division as 'Rural' or 'Urban' will be done by the Managing Director of the respective Discom on the basis of consumer mix. The same has to be informed by each Managing Director of Discoms to UPPCL within a period of 15 days from he date of issue of this Scheme.*

Eligible Amount on which Incentive would be paid:

Eligible amount would be the revenue collected over and above the 90% (for Urban Divisions*) and 80% (for Rural Divisions*) of its annual revenue targets for the financial year (FY 2017-18), however subject to actual revenue realized towards arrears barring arrears from LMV 4A, all HV categories and all Government centralized payments.

Pay outs

Amount of incentive payable to an employee shall be as follows:
Total incentive of 12.00% of the eligible amount would be payable to the concerned divisions. The break-up of the incentive would be as under :

Executive Engineer	0.50%
Executive Engineer (Office)	0.50%
SDO	1.00%
SDO (Office) & Cashier	1.50%
Junior Engineer (Attached to the Feeder with which the consumer is connected)	2.50%
Departmental Line Staff/Already engaged Contractual agency for Operation, Maintenance & disconnection work	6.00%
	12.00%

The incentive would be payable in multiples of Rs. 100/-